



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला मुरैना

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 522-पीबीआर/09

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

12-08-2014

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14-01-2009 को पुनरावलोकन में लेने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदक अधिक्ता को सुना गया । आवेदक की ओर से मुख्य तर्क यह दिया गया कि प्रकरण में राजीनामा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था तथा राजीनामे पर संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं इन बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-1-2009 में ध्यान नहीं दिया गया है । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-1-2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि राजीनामे को सिद्ध करने के लिये विधिवत् वादग्रस्त भूमि के सभी दर्ज भूमिस्वामियों के बीच हुये राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के ब्यान दर्ज किये जाने चाहिये थे । इस न्यायालय के उक्त निष्कर्ष में अवैधानिक अथवा त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है । ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन के पर्याप्त आधार नहीं होने से पुनरावलोकन अमान्य किया जाता है ।

प्रशासकीय सदस्य